132

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

CANCELLED

Rs 15/-

माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण 2002 निगरानी - 2755 - III/02

मंगल प्रसाद पुत्र अजुद्धी ,जाति जाटव ,निवासी
ग्राम नहरा तहसील व जिला भिण्ड म0प्र0
- - - - - - - - - - - - - - - आवेदक

R 2755-III/02

श्री एस.के. श्रीवास्तव - एडवोकेट
द्वारा आज दि० 26/11/02 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

26 NOV 2002

विरूद्ध

1 - भुरादेवी बेवा गोपीचन्द पुत्री तुलसीराम ,
निवासी नहरा हाल निवासी वसन्तलाल वाईपास
रोड टंकी के पास आनन्द नगर इटावा जिला इटावा
उ0 प्र0

2 - सुखादेवी पत्नी सुवेदार पुत्री तुलसीराम ,नि0
नगला गहलोत इटावा उ0प्र0

3 - रानी देवी पत्नी वसन्तलाल पुत्री तुलसीराम
निवासी आनन्द नगर इटावा उ0प्र0 - - -अनावेदकगण

8/8/2002
26-11-2002

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 27/9/02 जो न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 135 / 01 -02 अपील मे पारित किया है जो अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 63 / 2000 - 01 अपील माल मे दिनांक 28/2/02 मे पारित किया है जो न्यायालय अपर तहसीलदार विरत्त प्र,प, द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/99-2000 / अ - 6 मे पारित आदेश दिनांक 18/6/01 से उत्पन्न हुआ है ।

- -

श्रीमानजी ,

आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-
प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

1 / यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक {खाता क्रमांक} 107 मौजा ग्राम भैरवपुरा कुल किता 13 रकवा 3.96 हेक्टर के 1/2 भाग के भूमि स्वामी तुलसीराम पुत्र कुन्दनलाल थे ~~इस~~ यह तथ्य स्वीकृत तथ्य है ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

———

प्रकरण कमांक – निगरानी 2755–तीन/02 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.6.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 135/2001–02/अपील में पारित आदेश दिनांक 27–9–02 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी मृतक तुलसीराम पुत्र कुन्दनलाल थे । उनकी मृत्यु के उपरांत आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर तथा अनावेदकों द्वारा वारिसाना आधार पर नामांतरण हेतु विचारण न्यायालय में आवेदन पेश किये । विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 18–6–2001 द्वारा वसीयत को संदिग्ध व प्रमाणिकता से परे मानते हुए वारिसाना आधार पर अनावेदकों का नामांतरण आवेदन स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम तथा द्वितीय अपीलें कमशः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने निरस्त की हैं । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण का है ।	

R- 2755-III/02 (विदिशा)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य का विस्तार से विश्लेषण किया गया है । विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए अपर आयुक्त ने यह पाया है कि अनावेदकगण का मृतक तुलसीराम के निकटतम वारिस होना प्रमाणित है । जहां तक आवेदक के पक्ष में हुई वसीयत का प्रश्न है उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे वसीयत को संदेह से परे साबित माना जाये । अतः इस प्रकरण में अपर आयुक्त ने जो आदेश पारित किया है उसमें कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । प्रकरण में तथ्यों के संबंध में तीनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	